न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 24/2023(2023/92)

1. सुनिल कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जैन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
——अप्रार्थी
2. अंकुश कुमार पुत्र नौरतमल जाति जैन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. मधु पत्नि कृष्णगोपाल जाति शर्मा निवासी तिलक नगर जयपुर रोड मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
4. मनीष कुमार पुत्र पारसमल टोंग्या जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. महावीर प्रसाद पुत्र गुदडमल जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रफोर्मा प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 08.03.2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के संयुक्त कब्जे स्वामित्व एवं खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खेवट खतोनी संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
210—307	1910/340	1.37 है.	बारानी—3
2—2	1914/340	0.37 है.	बारानी—3
391—369	1750/1733 1751/1733	1.70 है. 0.03 है.	बारानी—3 बारानी—3
220—205	1739/1733	0.91 है.	बारानी—3

Scanned with OKEN Scanner

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जो कि प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की स्वयं की आराजी है एवं इन्ही के कब्जे, स्वामित्व व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के पडोसियों के मध्य सीमा चिन्ह को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदार में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी, एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी के खसरा नम्बर 1910/340, 1914/340, 1750/1733, 1751/1733 एवं 1739/1733 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी